न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 15/2022
सरकार बनाम बाबुलाल शर्मा पुत्र रामकुमार, जाति– ब्राम्हण, निवासी– देवरोड़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 31.05.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बाबुलाल शर्मा पुत्र रामकुमार, जाति– ब्राम्हण, द्वारा मौजा देवरोड़ की राजकीय भूमि ख.नं. 490 कुल रकबा 0.2600 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0006 है0 भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मु.नं. 20/2021 दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका निर्णय दिनांक 07.07.2021 को किया गया। गैर सायल ने उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के न्यायालय में पेश की। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं में दर्ज अपील संख्या 53/2021 का निर्णय दिनांक 06.08.2021 को पारित किया गया। जिसमें अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2021 उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल शर्मा, मु.नं. 20/2021 को निरस्त कर दिया गया तथा पत्रावली इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर मौके पर अतिक्रमण के संबंध में नपती करवाई जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की विवेचना करते हुए पुनः विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही करें। इस पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें रास्ता खुला बताते हुए उक्त भूमि पर 50 साल पुराना कब्जा बताते हुए अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया। पत्रांक राजस्व/2021/569 दिनांक 25.11.2021 द्वारा नायब तहसीलदार सूरजगढ़ की अगुवाई में राजस्व कार्मिकों भू.अ.नि./पटवारियों की टीम का गठन किया जाकर ग्राम देवरोड़ भूमि भूमि ख.नं. 490 रकबा 0.2600 है0 किस्म गै.मु. रास्ता का सीमाज्ञान करवाया गया। मुताबिक रिपोर्ट सीमाज्ञान गैर सायल का गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। अतः निर्णय बेदखली का दिनांक 28.12.2021 को पारित किया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं में अपील संख्या 03/2022 दर्ज हुई। पत्रावली माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के आदेश दिनांक 03.03.2022 द्वारा न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ के निर्णय दिनांक 28.12.2021 को निरस्त कर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि "अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ़ स्वयं द्वारा अपीलान्ट की मौजूदगी में विवादित भूमि की नपति कर अतिक्रमित भूमि का सीमाज्ञान करवाये। अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि की लम्बाई व चौड़ाई से अवगत कराते हुए अतिक्रमण भाग का माप बताये तथा फिर भी अतिक्रमण किया जाना पाया जावें तो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।" अतः प्रकरण संख्या 51/2022 पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/417–420 दिनांक 26.04.2022 द्वारा सीमाज्ञान हेतु टीम का गठन किया जाकर दिनांक 13.05.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं की मौजूदगी में गै.मु. रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान जी.पी.एस. मशीन से करवाया गया, जिसमें 4X4 मी. अतिक्रमण गै.मु. रास्ते

की भूमि में पाया गया। गैर सायल को अतिक्रमित भूमि की लम्बाई व चौड़ाई से मौके पर अवगत कराया गया एवं मौके पर मौजूद गैर सायल बाबुलाल शर्मा को अतिक्रमित क्षेत्र से अपने स्तर पर 7 दिवस में अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया। इसके अतिरिक्त सुनवाई हेतु अपना पक्ष पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। गैर सायल ने अपने जवाब में अपना अतिक्रमण अस्वीकार करते हुए उक्त निर्माण तकरीबन 50 वर्ष पुराना बताया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........07.......पर
वर्ष 2022-23 में रुपये...5/...कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़